

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
10.09.2021

मिसल नम्बर

34 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012

तारीख दायरा

20.09.20212

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री विक्रेता श्री सुरेश कुमार विजय पुत्र श्री मदन लाल विजय निवासी सी-26 आदर्श नगर कोटा रोड टोंक जिला टोंक प्रापराईटर मैसर्स सुरेश प्रोविजन स्टोर पक्का बंदा मेहगांव टोंक
- 2-मैसर्स सुरेश प्रोविजन स्टोर पक्का बंदा मेहगांव टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 10.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2011 को समय 3.20 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सुरेश प्रोविजन स्टोर पक्का बंदा मेहगांव टोंक पर पहुंचा। प्रोपराइटर की हैसियत से श्री सुरेश कुमार विजय पुत्र श्री मदन लाल विजय निवासी सी-26 आदर्श नगर कोटा रोड टोंक जिला टोंक प्रापराईटर मैसर्स सुरेश प्रोविजन स्टोर पक्का बंदा मेहगांव टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में सरसों तेल (लूज अवस्था) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री सुरेश कुमार विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सुरेश कुमार विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



1326

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  


आवेदक द्वारा दुकान में स्टील की टंकी में लगभग 20 किलो सरसों तेल (लूज अवस्था) रखे हुये में से 600 ग्राम वेईंग मशीन से तुलवाकर वारते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री सुरेश कुमार विजय को रू0 110/- अक्षरे एक सौ दस रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा सरसों तेल (लूज अवस्था) 600 ग्राम को हिलाकर एकरूप कर चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतले दिखाकर प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-109 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-109 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता श्री सुरेश कुमार विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2011/4162 दिनांक 01.12.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/117/एक्ट/2011/119 दिनांक 16.11.2011 एवं रेफरल फूड लेबोरेट्री गाजियाबाद की अन्तिम जांच रिपोर्ट दिनांक 18.08.2012 अनुसार सुरेश कुमार विजय से वारते नमूना जांच विक्रय किया गया सरसों तेल (लूज अवस्था) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का सरसों तेल (लूज अवस्था) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।



1327

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपरिथत। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सरसों तेल (लूज अवस्था) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर गनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सरसों तेल (लूज अवस्था) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार विजय पुत्र श्री मदन लाल विजय निवासी सी-26 आदर्श नगर कोटा रोड टोंक जिला टोंक प्रापराईटर मैसर्स सुरेश प्रोविजन स्टोर पक्का बंदा मेहगांव टोक पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



10.9.2021  
(सुरेश लाल शर्मा)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0